न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी (राज0) कोर्ट कैम्प बाजड

पीठासीन अधिकारी :— राजेश जोशी आर.ए.एस.

वाद संख्या :— 16 / दावा / 2018

1. सुनीत मीना आयु 28 वर्ष आत्मज श्री पृथ्वीराज जाति मीना निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
2. रिंकू मीना आयु 26 वर्ष आत्मज श्री पृथ्वीराज जाति मीना निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)

वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज आयु 56 वर्ष आ0 श्री नन्दा जाति मीना निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
2. श्रीमति रतनबाई बाई आयु 54 वर्ष पत्नि श्री पृथ्वीराज जाति मीना निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
3. श्रीमति सीमा बाई आयु 35 वर्ष पुत्री श्री पृथ्वीराज पत्नि श्री दिनेश कुमार जाति मीना निवासी बाजड हाल निवास देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
4. श्रीमति हमेशा बाई आयु 33 वर्ष पुत्री श्री पृथ्वीराज पत्नि श्री जोगेन्द्र जाति मीना निवासी बाजड हाल निवास गणेशपुरा तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
5. श्रीमति सुरेश बाई आयु 30 वर्ष पुत्री श्री पृथ्वीराज पत्नि श्री सवादीन जाति मीना निवासी बाजड हाल निवास गुमानपुरा तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
7. जर्ये बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबंधक सुंवासा।

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र खातेदारी अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि

उपस्थितः–

1. श्री नरेश श्रृंगी, अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 की ओर से श्री धनराज मीणा
3. राज्य की ओर से पैरोकार सरकार।

दिनांक :–28.05.18

निर्णय

1. वादीगण की ओर यह वाद पत्र अधिकार घोषणा एवं बंटवारा भूमि का दि. 05.03.18 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया।

Scanned by CamScanner

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बाजड पटवार क्षैत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी की कृषि भूमि खेवट खतोनी सं. नई 149 पुरानी 141 की कृषि भूमि ख.सं. 856 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा, ख.सं. 1201 रकबा 7 बिस्वा, ख.सं. 1205 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, ख.सं. 1280 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा, ख.सं. 1282 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा एवं ग्राम सुंवासा पटवार क्षैत्र सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी की कृषि भूमि खेवट खतौनी सं. नई 307 पुरानी 294 की कृषि भूमि ख.सं. 2407 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा एवं खतौनी सं. नई 306 पुरानी 293 की कृषि भूमि ख.सं. 2399 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख.सं. 2406 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा विरिथत है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 पृथ्वीराज जी के खातेदारी में दर्ज है उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी है। उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी पैतृक सम्पति होने से वादीगण का जन्म से कानूनन हक व अधिकार निहित होने से वादीगण पारिवारिक समझौते बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर शान्ति पूर्वक तरीके से काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण निरन्तर बेरोकटोक, निर्बाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई आय का एवं जीवीकोपार्जन का साधन नही है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का कानूनन विधिक बंटवारा आज तक पक्षकारान के मध्य नही हुआ है। जिसकी वजह से आये दिन वादीगण को भारी परेशानी होती है। उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 गुपचुप तरीके से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को बेचान कर रहा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्नानुसार बंटवारे की डिक्री फरमाई जावे– वादी सं. 1 सुनीत मीणा के हक में खसरा सं. 856 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा में से 7 बीघा 10 बिस्वा धर्मराज आ0 श्री छीतर मीणा की तरफ वाली, खसरा सं. 1282 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं. 1205 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा पप्पू आ. श्री बाला मीणा की तरफ वाली कुल किता 3 कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बाजड एवं ख.सं. 2406 रकबा 6 बिस्वा सम्पूर्ण, ख.सं. 2407 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम सुंवासा को राजस्व रिकार्ड में बंटवारा की डिक्री प्रदान कर वादी सं. 1 का नाम अंकन किया जावे एवं खातेदारी अधिकार घोषित किया जावे। वादी सं. 2 रिंकू मीना के हक में खसरा सं. 856 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा में से 7 बीघा 11 बिस्वा महावीर मीणा की तरफ वाली, खसरा सं. 1280 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा में से 8 बीघा 19 बिस्वा पूर्व दिशा सुंवासा की तरफ वाली, खसरा सं. 1205 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा कुंआ की तरफ वाली कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बाजड एवं ख.सं. 2399 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण वाके ग्राम सुंवासा को राजस्व रिकार्ड में बंटवारा की डिक्री प्रदान कर वादी सं. 2 का नाम अंकन किया जावे एवं खातेदारी अधिकार घोषित करे। प्रतिवादी सं. 1 पृथ्वीराज मीना के हक में खसरा सं. 1201 रकबा 7 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं. 1280 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा में से 5 बीघा 13 बिस्वा रोड साईड पर कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम बाजड को राजस्व रिकार्ड में बंटवारा की डिक्री प्रदान कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम अंकन किया जावे एवं खातेदारी अधिकार घोषित करे।

Scanned by CamScanner

.गण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने न्यायालय में उपस्थित कर इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा अपने जवाब में वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 10 में वर्णित इबारत को स्वीकार किया तथा वादीगण का वाद, वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार निर्णय व डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नही की गई। प्रतिवादी सं. 6 ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमें वादपत्र को आंशिक स्वीकार किया गया। वादीगण की और से साक्ष्य में पी.डब्लयू 1 सुनीत मीना, पी.डब्लयू 2 रिंकू मीना के शपथ पत्र पेश किये। वाद पत्र व जवाब दावा प्रस्तुत होने पर पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया गया। क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा वादीगण के वाद पत्र का ईकबालिया जवाब पेश कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया जाता हैं तो स्वीकृति के आधार पर निर्णय किये जाने सम्बंधी विधि का अवलोकन करें जो इस प्रकार है:–

4- “ Order 12 rule 6 c.p.c”

5- {Rule 6 Judgment on admissions-(i) Where admissions of fact have been made either in the pleading or otherwise whether orally or in writing the court may at any stage of the suit, either on the application of any party or its Own motion and without waiting for the determination of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit having regard to such admiration}

6. आर.बी.जे (5) 1998 पी.एन. 615

7. उपरोक्त न्यायिक नजीर में प्रतिपादित सिद्धांतो तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की स्वीकृति के आधार पर वादी सं. 1 सुनीत मीणा के हक में खसरा सं. 856 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा में से 7 बीघा 10 बिस्वा धर्मराज आ0 श्री छीतर मीणा की तरफ वाली, खसरा सं. 1282 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं. 1205 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा पप्पू आ. श्री बाला मीणा की तरफ वाली कुल किता 3 कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बाजड एवं ख.सं. 2406 रकबा 6 बिस्वा सम्पूर्ण, ख.सं. 2407 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम सुंवासा का खातेदार घोषित किये जाने एवं बंटवारा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। वादी सं. 2 रिंकू मीना के हक में खसरा सं. 856 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा में से 7 बीघा 11 बिस्वा महावीर मीणा की तरफ वाली, खसरा सं. 1280 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा में से 8 बीघा 19 बिस्वा पूर्व दिशा सुंवासा की तरफ वाली, खसरा सं. 1205 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा कुंआ की तरफ वाली कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बाजड एवं ख.सं. 2399 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण वाके ग्राम सुंवासा का खातेदार घोषित किये जाने एवं बंटवारा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 पृथ्वीराज मीना के हक में खसरा सं. 1201 रकबा 7 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं. 1280 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा में से 5 बीघा 13 बिस्वा रोड साईड पर कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम बाजड का खातेदार घोषित किये जाने एवं बंटवारा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। तदनुसार बंटवारा कराये जाने का अधिकारी पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

आदेश

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक रूप से निम्नानुसार डिकी किया जाता हैं। वादी सं. 1 सुनीत मीणा के हक में खसरा सं. 856 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा में से 7 बीघा 10 बिस्वा धर्मराज आ0 श्री छीतर मीणा की तरफ वाली, खसरा सं. 1282 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं. 1205 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा पप्पू आ. श्री बाला मीणा की तरफ वाली कुल किता 3 कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बाजड एवं ख.सं. 2406 रकबा 6 बिस्वा सम्पूर्ण, ख.सं. 2407 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम सुंवासा का खातेदार घोषित किया जाता है। वादी सं. 2 रिंकू मीना के हक में खसरा सं. 856 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा में से 7 बीघा 11 बिस्वा महावीर मीणा की तरफ वाली, खसरा सं. 1280 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा में से 8 बीघा 19 बिस्वा पूर्व दिशा सुंवासा की तरफ वाली, खसरा सं. 1205 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा कुंआ की तरफ वाली कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बाजड एवं ख.सं. 2399 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण वाके ग्राम सुंवासा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 पृथ्वीराज मीना के हक में खसरा सं. 1201 रकबा 7 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं. 1280 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा में से 5 बीघा 13 बिस्वा रोड साईड पर कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम बाजड का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार माप व सीमांकन के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करे। तदनुसार प्राथमिक डिकी पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner